CNR No-UPME010082602026
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–20, मेरठ।
उपस्थितिः- अभिषेक उपाध्याय (एच 0 जे0 एस 0)
J.O.Code No. - UP1641
कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या - 2762/2026
नियमित जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 2234/2026
मु०अ०सं०- 116/2026
धारा- 352, 351(3), 303(2), 317(2), 318(4), 317(4), 317(5), 3(5) बी०एन०एस०
थाना- लिसाड़ीगेट, जिला मेरठ।

जुबेर उर्फ गुल्लक पुत्र इसलाम, निवासी- ईदगाह कॉलोनी, 60 फुट रोड, बेकरी वाली गली, थाना लिसाड़ी गेट, जिला मेरठ। ----प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य -----अभियोजक

दिनांक- 04.06.2026

1. यह नियमित जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक **जुबेर उर्फ गुल्लक पुत्र इसलाम** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहते हुए जमानत प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक की ओर से अभिकथित है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। कथित घटना से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी तथा प्रार्थी नामजद अभियुक्त नहीं है। घटना दिनांक 20.02.2026 को रात्रि 10:30 बजे की दर्शाई गई है, जबकि एफ.आई.आर. दिनांक 21.02.2026 को अपराह्न 03:16 बजे विलम्ब से दर्ज कराई गई, जिससे अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होती है। एफ.आई.आर. में केवल टेम्पो चलाने को लेकर गाली-गलौज एवं धमकी देने का आरोप है। न तो मोटरसाइकिल का नम्बर और न ही उसका रंग अंकित किया गया है। घटना में किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है। प्रार्थी की कोई शिनाख्त नहीं कराई गई तथा उसके कब्जे से कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा बरामदगी नहीं हुई है। सह-अभियुक्त मुल्ला उर्फ कासिम पुत्र हाजी मोहम्मद उमर को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.2026 को जमानत प्रदान की जा चुकी है। प्रार्थी का मामला समान एवं तुलनीय होने के कारण वह भी जमानत का अधिकारी है। प्रार्थी दिनांक 20.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है तथा विचारण के शीघ्र समाप्त होने की संभावना नहीं है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है/यदि कोई है तो उसका समुचित स्पष्टीकरण शपथपत्र में दिया गया है। प्रार्थी न्यायालय द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का पालन करेगा, विचारण में सहयोग करेगा तथा साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त है कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद।" अतः

श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाये।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी/प्रार्थी पिंटू पुत्र राकेश निवासी जोगियान मोहल्ला, सरधना, थाना सरधना, जनपद मेरठ ने थाना लिसाड़ी गेट, मेरठ पर दिनांक 20.02.2026 की घटना के संबंध में तहरीर दी कि वह टैम्पू द्वारा भाड़े पर सामान ढोने का कार्य करता है। दिनांक 20.02.2026 को रात्रि लगभग 10:30 बजे सिटी अस्पताल, मेरठ के पास सामान उतारकर अपने घर सरधना लौट रहा था। जब वह शम्भूदास गेट के पास पहुँचा, तब दो अज्ञात स्प्लेंडर मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने टैम्पू सही प्रकार से न चलाने की बात को लेकर उसके साथ गाली–गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी। विरोध करने पर एक व्यक्ति ने उसका कॉलर पकड़ लिया। इसके बाद दोनों अज्ञात व्यक्ति मौके से चले गए। बाद में वादी को ज्ञात हुआ कि उक्त विवाद के दौरान उसके गले की सोने की चेन कहीं गिर गई है। इस संबंध में थाना लिसाड़ी गेट, मेरठ पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

4. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने मौखिक तर्कों में यह अभिकथित किया गया कि अभियुक्त एक सीधा–सादा निर्दोष व्यक्ति है। उसे इस मुकदमे में गलत तरीके से झूठा फंसाया गया है। घटना की सूचना संबंधित थाने पर काफी विलंब से दी गयी थी। अभियुक्त घटनाक्रम में नामजद अभियुक्त नहीं है। घटना का कोई चक्षु साक्षी नहीं है। अभियुक्त के पास से कोई ऐसे सामान की बरामदगी नहीं हुई है जो उसकी घटना में अभियुक्त की संलिप्तता सिद्ध कर सके। अभियुक्त दिनांक 20.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। सह–अभियुक्त मुल्ला उर्फ कासिम की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। वह सक्षम जमानत देने को तैयार है तथा उसे यदि जमानत पर छोड़ दिया जाता है तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ या न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता से बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगा। इस परिस्थिति में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय से अनुरोध किया गया कि अभियुक्त की नियमित जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की कृपा करें।

5. अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने मौखिक तर्कों में यह अभिकथित किया गया कि अभियुक्त एक शातिर किस्म का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसका एक लंबा-चौड़ा आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त द्वारा सह-अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा के साथ टैम्पू सही प्रकार से न चलाने की बात को लेकर गाली-गलौज की गयी थी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी थी। घटनाक्रम में सह-अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्पलेंडर प्लस की बरामदगी हुई थी। इस परिस्थिति में यदि अभियुक्त को जमानत प्रदान कर दी जाती है तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ या न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता से बाहर जाने की कोशिश कर सकता है। इस परिस्थिति में अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय से अनुरोध

किया गया कि अभियुक्त की द्वितीय नियमित जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने की कृपा की जाए।

6. उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

7. पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त जुबेर उर्फ गुल्लक पुत्र इसलाम के ऊपर थाना लिसाड़ीगेट द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 352, 351(3), 303(2), 317(2), 318(4), 317(4), 317(5), 3(5) बी०एन०एस० का अभियोग अधिरोपित किया गया है। घटनाक्रम में घटना की सूचना संबंधित थाने पर विलंब से लिखायी गयी थी। घटना का कोई चक्षु साक्षी पुलिस द्वारा नहीं बताया गया है। अभियुक्त के पास से कोई स्पष्ट बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्त दिनांक 20.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। सह–अभियुक्त मुल्ला उर्फ कासिम की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त सक्षम जमानत देने को तैयार है। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कई नजीरों में यह स्पष्टतः अभिकथित किया गया है कि" बेल एक सामान्य प्रक्रिया है तथा जेल अपवाद है।** "

8. इस परिस्थिति में बिना वाद के गुण-दोष पर अभिमत व्यक्त किए अभियुक्त जुबेर उर्फ गुल्लक पुत्र इसलाम की नियमित जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **जुबेर उर्फ गुल्लक पुत्र इसलाम** की ओर से **मु०अं०सं० 116/26, धारा 352, 351(3), 303(2), 317(2), 318(4), 317(4), 317(5), 3(5) बी०एन०एस०, थाना लिसाड़ीगेट, जिला मेरठ** के प्रकरण में प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा **75,000/– रूपये** का निजी बंधपत्र तथा समान धनराशि के 2 प्रतिभू दाखिल करने पर न्यायालय की संतुष्टि पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है :–

1. यह कि वह न्यायालय की अपेक्षानुसार नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित आयेगा अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा एवं अभियोजन की ओर से उपस्थित साक्षियों से जिरह करेगा तथा साक्ष्य में सहयोग करेगा।
2. यह कि वह समान प्रकृति का कोई अपराध नहीं कारित करेगा।
3. यह कि वह दौरान विचारण देश की सीमा से बाहर नहीं जायेगा।
4. यह कि वह अभियोजन साक्षियों को न तो तोड़ेगा और न ही अपने पक्ष में साक्ष्य देने के लिये कोई उत्प्रेरणा, वचन व धमकी या प्रलोभन देगा। आदेश की एक प्रति email द्वारा संबंधित कारगार को भेजा जाये।

दिनांक– 04.06.2026

(अभिषेक उपाध्याय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–20, मेरठ।
J.O. Code – U.P. 1641

Digitally signed by ABHISHEK UPADHYAYA
Date: 2026.06.04 16:50:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court